UPJB040159312020

Presented on : 11-08-2009
Registered on : 11-08-2009
Decided on : 30-07-2025
Duration : 15 years, 11 months, 19 days

IN THE COURT OF
JUDICIAL MAGISTRATE
AT ,Amroha
(Presided Over by SUSHRI AISHWARYA CHANDRA)

Cri. Case/4371/2020

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद अमरोहा।

उपस्थितः– ऐश्वर्या चन्द्रा .... पीठासीन अधिकारी उ०प्र० न्यायिक सेवा

अपराध संख्या– 863/2009

दण्डवाद संख्या– 1221/2021

सरकार	**बनाम**	**1–**	**पुष्पेन्द्र पुत्र सुरेश**
		2–	**राजकुमार पुत्र सुरेश**
		3–	**इन्द्रजीत उर्फ गुड्डू पुत्र बलवन्त सिंह**

निवासीगण ग्राम–कासमपुर, थाना रजबपुर, जनपद अमरोहा।

धारा–325, 324, 504 भा०दं०सं०

थाना– रजबपुर, जिला– अमरोहा।

निर्णय

01– अभियुक्तगण **पुष्पेन्द्र, राजकुमार एवं इन्द्रजीत उर्फ गुड्डू** के विरूद्ध धारा– 325, 324, 504 भारतीय दण्ड संहिता के तहत पुलिस थाना रजबपुर द्वारा आरोपपत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है जिस पर प्रसंज्ञान लिए जाने के पश्चात अभियुक्तगण के अपराध का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया है।

02– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी प्रेम सिंह पुत्र सोरन सिंह ग्राम कासमपुर, थाना रजबपुर, जिला जे०पी० नगर का निवासी हूं। दिनांक 19.07.2009 को

Digitally signed by AISHWARYA CHANDRA
Date: 2025.07.30 16:51:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दोपहर करीब 2:30 बजे मेरे गांव के पुष्पेन्द्र पुत्र सुरेश, राजकुमार पुत्र सुरेश व इन्द्रजीत उर्फ गुड्डू पुत्र बलवन्त मेरे घर पर आये और मुझे आवाज देकर बाहर बुलाया तथा गाली–गलौच करने लगे, मेरे मना करने पर इन तीनो ने मुझे व मेरे लड़के प्रमोद को फावड व तबल लाठी डण्डो से मार पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया जो कि पुष्पेन्द्र के हाथ में तबल था तथा राजकुमार के हाथ में फावड़ा तथा इन्द्रजीत के हाथ में लाठी थी । मेरे लड़के प्रमोद व मुझे गंभीर चोटे आयी थी लोग मुझे और मेरे लड़के को मारपीट कर रहे थे तब तक शोर सुनकर गांव के होमपाल पुत्र हरवंश व रमेश पुत्र लल्लू सिंह आदि काफी लोग आ गये जिन्होंने हमे बचाया व पुरा वाक्या देखा तो ये लोग गाली देते हुए चले गये मैंने अपना व अपने लड़के का इलाज सरकारी अस्पताल अमरोहा में कराया मेरे लड़के की हालत गंभीर है जो अभी जिला अस्पताल अमरोहा में भर्ती है। मैं रिपोर्ट लिखाने आया हूं। मेरी रिपोर्ट लिखकर मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

03– वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर संबंधित थाना रजबपुर पर दिनांक 20.07.2009 को अभियुक्तगण **पुष्पेन्द्र, राजकुमार एवं इन्द्रजीत उर्फ गुड्डू** के विरूद्ध अन्तर्गत 325, 324, 504 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध संख्या– 863/2009 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहन, निरीक्षण घटना स्थल एवं अन्य सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण **पुष्पेन्द्र, राजकुमार एवं इन्द्रजीत उर्फ गुड्डू** पर जुर्म अन्तर्गत धारा 323, 324, 504 भारतीय दण्ड संहिता साबित पाया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनता पाते हुए आरोप पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया। जिंस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

04– अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये एवं अपनी–अपनी जमानत करायी।

05– अभियुक्तगण को धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान कर दिनांक 12.09.2012 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–325, 324, 504 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप विरचित किये गये, जिनसे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

06– अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–1 के रूप में वादी मुकदमा प्रेम सिंह को एवं पी० डब्लू० 2 के रूप में प्रमोद कुमार एवं पी०डब्लू०–3 रमेश सिंह को परीक्षित कराया गया है। अन्य किसी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

07– अभियुक्तगण के बयान 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 08.07.2025 को अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने कथित घटना को गलत बताते हुए रंजिशन फंसाये जाने का कथन किया तथा अपनी सफाई एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

08– मैंने विद्वान अभियोजन अधिकारी, फौजदारी व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

09– अभियुक्तगण **पुष्पेन्द्र, राजकुमार एवं इन्द्रजीत उर्फ गुड्डू** के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध धारा– 325, 324, 504 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध है, जिसे पूर्ण एवं संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर है।

10– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 1 प्रेम सिंह** ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते हुए अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है "घटना दिनांक 19.07.2009 दोपहर 2:30 बजे की है। मैं उस समय घर पर था मेरे घर पर पुष्पेन्द्र, राजकुमार और इन्द्रजीत आये और मुझे आवाज देकर घर से बाहर बुलाया और गाली देने लगे और मैंने उन्हें गाली देने को मना किया तो पुष्पेन्द्र ने तबल से प्रमोद पर व मुझ पर तबल से वार किया । राजकुमार ने फावड़े से वार किया इन्द्रजीत ने लाठी से मारपीट की। मुल्जिमानो ने हमारे ऊपर जान से मारने की नीयत से वार किया था जिसे मुझे व प्रमोद को गम्भीर चोटे आयी शोर सुनकर गांव के काफी लोग आ गये थे। गांव के लोगो ने हमे बचाया मैंने अपना व अपने लड़के प्रमोद का इलाज सरकारी अस्पताल अमरोहा में कराया। मेरे लड़के की हालत गम्भीर थी। वो 11 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। इस घटना की तहरीर मैंने अशोक कुमार से लिखवाकर थाने में दी थी। तहरीर पर मेरी निशानी अंगूठा है। इसे मैं प्रमाणित करता हूं। जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। मैंने दरोगा जी को घटना के बारे में बताया था।

11– बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी की जिरह की गयी तो उसने अपनी जिरह के दौरान कथन किया कि "मैं पढा लिखा नही हूँ। तहरीर हमने अगले दिन दी थी। तहरीर मैंने अशोक कुमार को बोली थी। पढकर सुनायी थी लेकिन मैं इतना पढा लिखा नही हूँ। झगड़ा हमारे घर पर हुआ था । घर में घुसने वाली बात मैंने तहरीर में नही लिखायी । झगड़े के समय मौके पर परिवार का कोई नही आया था। पुष्पेन्द्र के पापा के अलावा भी मेरे दो भाई है उनके मकान घर के सामने हैं वो टैम्पो चलाते हैं और उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं। उनके परिवार में से भी हमे बचाने कोई नही आया। गांव के लोग आ गये थे नाम याद नही है। गांव के लोग शोर पर आये थे। हम चार भाई हैं तीन भाईयो की मृत्यु हो चुकी है अब मैं अकेला हूं। जमीन का बटवारा पिता जी के समय में हुआ था। यह बटवारा अदालती नही हुआ था बल्कि रिश्तेदारो व अन्य समाज के लोगो के समक्ष हुआ था। बटवारे के समय हमचारो भाई थे। मैं सबसे बड़े से छोटा हूं। रिश्तेदारो व समाज के सम्भ्रान्त लोगो के समक्ष बटवरे की बात होने के कारण किसी भाई ने कुछ नही कहा सबने चुप–चाप बात मान ली और अपने अपने मन की बात मन में रख ली जैसे बड़े–बूढे लोगो ने दे दिया सब ने वैसे ही बात मान कर आज भी उसी हिसाब से जोत–बो रहे हैं। जमीन की मुकदमेबाजी बटवारे के 10 साल बाद शुरु हुई। जमीन का सबसे पहले मुकदमा मुझसे छोटे भाई सुरेश ने किया था। सुरेश ने यह मुकदमा तहसील में कुर्रे बन्दी का किया था। सुरेश ने जो दावा किया था वह पारिवारिक फैसले से सन्तुष्ट न होने के कारण किया था। दावा करते ही सारे भाईयो में विवाद फैल गया। सुरेश ने आगे की जमान पर अपना रंग कुर्रे बन्दी में भरवा लिया था। सुरेश का फ्रंट की जमीन पर अपना रंग भरवा लेना सभी भाइयो को बुरा लगा था। हम तीनो भाईयो ने आपस में बैठकर पंचायत की थी इन्होने फ्रष्ट की जमीन पर अपना रंग भरवा लिया है अब इसको सबक सिखायेंगे। बंटवारे वाली पंचायत के लगभग दो ढाई माह बाद सुरेश की मृत्यु हो गयी थी। सुरेश की मृत्यु से पहले फ्रन्ट की जमीन पर सभी भाईयो का रंग भरा जा चुका था। मैंने दीवानी का मुकदमा इस न्यायालय में चल रहा है जो सुरेश ने ही किया था। सुरेश की मौत का मुझे पता नही चला उसकी मृत्यु नौकरी पर हुी थी। सुरेश का एक बच्चा अमरोहा व एक गजरौला में रहता था। अमरोहा में पुष्पेन्द्र पुत्र सुरेश रहता था जो नौकरी करता था । दूसरा बेटा राजकुमार क्या करता था मुझे नही पता सुरेश की मृत्यु के पूर्ळ से ही उसकी खेती साढू करता है। सुरेश का रिहायसी मकान मेरे मकान से लगभग 50 गज की दूरी पर है। इस अदालत में मेरे व मेरे लड़के प्रमोद के खिलाफ पुष्पेन्द्र से मारपीट करने का मुकदमा चल रहा है उसमें भी आज तारीख है उस घटना में पुष्पेन्द्र को चोट कितनी चोट लगी या नही लगी मुझे नही पता। घर के बाहर की सड़क 1012 गज चौड़ी होगी इस सड़क पर RCC लगी है। RCC का मतलब

सीमेण्ट की पक्की सड़क से है। मैं अपनी खेती का सामान व बुग्गी अपने घेर में रखता हूं। मेरेघर का सदर दरवाजा सड़क पर है। इस पर फाटक पहले लकड़ी का था जहाँ मैं बैठा था वहाँ से फाटक की दूरी लगभग 8–10 कदम रही होगी। शोर की आवाज पहाड़ की ओर से आयी थी। शोर सुनकर मुझे वहां तक पहुंचने में लगभग एक मिनट लगा था जब मैं भागा तो उस समय मेरा मुंह पहाड़ की ओर था। सामने रमेश का मकान था । रमेश मेरे भाई नही है वहाँ पर लगभग 10–15 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गये थे। इनमें झगड़ा 10–15 मिनट तक हुआ था। मैं गिरा नही था मेरे सारे कपड़े खून में हो गया था। मेरी आँखो के आगे अंधेरा नही छाया था जहाँ मैं खड़ा था वहां से बिजली का खम्भा मेरे सीधे हाथ पर था खम्भा सीमेण्ट का था। सड़क पर भी खून गिरा था। रिपोर्ट से पहले पुलिस आयी थी तभी मैंने दरोगा जी को घटना स्कल बता दिया था। खून में सने कपड़े मैंने दरोगा जी को नही दिये थे मैं अस्पताल आ गया था। अस्पताल में डॉक्टरो से बात पुलिस वाले ओमदत्त शर्मा ने की थी। रोहताश हमारा भतीजा है। तहरीर अशोक से लिखवायी थी। तहरीर मैंने बोल कर लिखायी थी। घटना के अगले दिन तहरीर लिखायी थी उसके पहले डॉक्टरी हो चुकी थी। यह कहना गलत है कि जिस तरह की मैं घटना बता रहा हूँ उस तरह की कोई घटना न हुई है। यह कहना भी गलत है कि सुरेश के फ्रण्ट पर कुर्रेबन्दी में रंग आने के कारण मैंने जमीन की रंजिश की वजह से झूठी रिपोर्ट लिखायी । यह भी कहना गलत है कि मैं अपने खिलाफ चल कहना गलत है कि मैं अपने खिलाफ चल कहना गलत है कि मैं अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे में बचने की वजह से झूठी रिपोर्ट लिखायी है। यह कहना भी गलत है कि भीड़ में भागने व बिजली के खम्भे में टक्कर मकर पक्की सड़क पर गिरने से व कृषि के यंत्र लग जाने के कारण मुझे चोट आयी है।"

12– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 2 प्रमोद कुमार** ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते हुए अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है "जमीन का बटवारा मेरे सामने नही हुआ था। जैसा बटवारा पापा ने कर दिया था वैसा ही मान लिया थी हमने पापा से कोई आपत्ति नही की थी कि जमीन का बटवारा गलत कोई किया। उस बटवारे के बाद सुरेश ने जो कुर्रे बन्दी का मुकदमा अमरोहा तहसील में डाला था । यह मुकदमा सुरेश ने कुर्रे ठीक ना बने के कारण अदालत में डाला था। इस मुकदमें में कुर्रे बन्दी का आदेश नही हुआ था। वहा कुर्रे अलग अलग होकर अलग रंग भर दिये थे। रंग भरने के कौन सा किसका था मुझे जानकारी नही है। रंग भरे जाने से हम सन्तुष्ट नही थे। उसकी अपील हमने अमरोहा कोर्ट में की थी कुर्रे का आदेश हो जाना हमें बुरा लगा था। पिता जी हमने आकर नही बताया था कि हमारे खिलाफ

आदेश हो गया था। मैं आठ तर पढा लिखा हूँ हमारे खिलाफ भी इस अदालत में मुकदमा चल रहा है। यह मुकदमा पुष्पेन्द्र ने झगड़े की बावत लिखाया था। यह क्रास केस था। महीना बरसात का था। मेरे घर पुष्पेन्द्र के घर से आधा किलोमीटर दूर है। खेती की जमीन पास है। हमे रहने की भूमि बटवारे के समय खेत में मिली थी। पापा पुष्पेन्द्र के साथ रहते थे। इसलिए उन्होंने पुष्पेन्द्र को अलग से दी थी। यह जमीन पापा की सेवा करने पर नही मिली थी हिस्से में मिली थी। जब मैं पहुंचा था तो मेरे पिता जी सड़क पर खड़े थे। सड़क पर खड़ंजा था। RCC नही पड़ी थी ना ही RCC पर कोई घटना हुई थी ना ही RCC पर किसी ने किसी को मारापीटा था। जो चोट लगी थी। खड़ंजे पर लगी थी। खड़ंजा पश्चिम पूर्व दिशा में हैं। खड़ंजा 12–13 फुट चौड़ा था। मैं अपने घर से झगड़ा होने के बाद निकला था। मेरे घर का मुख्य गेट उत्तर दिशा में है। खड़ंजा घर से मिला हुआ है। यह खड़ंजा खुनम खुन हो गया था। खड़ंजा खुनम खुन होने पर भीड़ इधर–उधर नही भागी थी। भीड़ में मैंने अपने पापा को उठाया था। भीड़ में से किसी ने मेरे पापा के पट्टी नही बांधी थी बहुत तेज शोर मच रहा था मैंने भीड़ में शोर की बात न सुनकर अपने पापा को उठाया था। मेरे कपड़े खुन से सन गये थे। अपने व पापा के कपड़े दरोगा जी को नही दिये थे। हम पापा को थाने नही ले गये । पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। रिपोर्ट डॉक्टरी होने के बाद लिखी गयी थी। रिपोर्ट अशोक कुमार ने लिखी थी। जब रिपोर्ट लिखी गयी थी पापा होश में थे। पापा अगले दिन थाने गये थे। मैं साथ नही गया था। अशोक को कौन बुलाकर लाया था। मुझे जानकारी नही है। पापा एक हवेली हमे बेच दी थी। हमने एक हवेली बेच दी थी। हमारे हिस्से में दो आयी थी । यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना न घटी हो। यह कहना भी गलत है कि पुष्पेन्द्र से मुकदमे से बयाने के लिए झूठा मुकदमा लिखाया हो। यह कहना भी गलत है कि हमने बटवारे में ज्यादा जगह ले ली हो जिस कारण सुरेश ने बटवारे के लिए कुर्रे बन्दी का मुकदमा किया हो। हमें बुरा लगा हो सबक सिखाने के लिए झूठी गवाही दे रहा हूं।

13– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 3 रमेश सिंह** ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते हुए अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है वर्ष 2009 की घटना है। मैंने देखा कि प्रमोद की पीठ पर फावड़ा लगा था। वार किया था मैं दूध बेचकर आ रहा था तो मैंने चौकी पर देखा था। प्रमोद के पापा के भी चोट थी।

14– बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी की जिरह की गयी तो उसने अपनी जिरह के दौरान कथन किया कि " मैंने मारपीट करते किसी को नही देखा था। मैंने दरोगा जी को मारपीट करने वालो के नाम नही बताये थे। मैंने कोई घटना नही देखी थी।"

15– संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा और उसके पुत्र प्रमोद को धारदार हथियार से चोटें पहुंचा कर स्वेच्छया उपहति कारित की और मारपीट कर उनकी हड्डी तोड़ कर स्वेच्छया उपहति कारित की और गन्दी गाली दी।

16– न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2009 को अभियुक्तगण के विरुद्ध संज्ञान लिया गया, 12.09.2012 को आरोप विरचित किया गया और 05.10.2012 को पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत की गयी। अभियोजन ने पी०डब्लू०-१ प्रेम सिंह पुत्र सोहन सिंह, पी०डब्लू०-२ प्रमोद कुमार पुत्र प्रेम सिंह, पी०डब्लू०-३ रमेश सिंह पुत्र लल्लू सिंह को परीक्षित कराया है। तीनो गवाहान से बचाव पक्ष ने जिरह पूर्ण की। प्रदर्श क-1 प्रार्थी प्रेम सिंह पुत्र सोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रापक थानाध्यक्ष रजबपुर मौजदू है इस प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु इस प्रकार है कि "19.07.2009 को दोपहर ढाई बजे पुष्पेन्द्र पुत्र सुरेश, राजकुमार पुत्र सुरेश एवं राजेन्द्र पुत्र गुड्डू मेरे घर पर आये, मुझे आवाज देकर बाहर बुलाया, गाली गलौच करने लगे मेरे मना करने पर मुझे और प्रमोद को फावड़ा एवं तबल एवं लाठी डण्डो से मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। पुष्पेन्द्र के हाथ में तबल थी, राजकुमार के हाथ में फावड़ा, इन्द्रजीत के हाथ में लाठी थी। शोर सुनकर गांव के ओमपाल , रमेश आ गये जिन्होंने बचाया और पूरा वाक्या देखा। मैंने अपना और अपने लड़के का इलाज सरकारी अस्पताल जोया में करवाया । मेरे लड़के की हालत गंभीर है।" इस प्रकरण में उक्त प्रार्थी ही पी०डब्लू०-१ है।

पी०डब्लू०-१ प्रेम सिंह ने मुख्य परीक्षा में बयान किया कि 19.07.2009 को दोपहर ढाई बजे जब वह घर पर था तो पुष्पेन्द्र, राजकुमार, इन्द्रजीत ने आवाज दे कर घर से बाहर बुलाया। झगड़ा हमारे घर पर हुआ था। घर में घुसने वाली बात मैंने तहरीर में नही लिखायी है। झगड़े में मौके पर परिवार का कोई नही आया। जिरह में पी०डब्लू०-१ ने बताया कि उसके चार भाई हैं। जमीन का बटवारा पिता जी के समय हुआ था। जमीन की मुकदमेबाजी बटवारे के दस वर्ष बाद हुई। पहला मुकदमा सुरेश ने कुर्रे बन्दी का किया था।इस अदालत में मेरे और मेरे लड़के प्रमोद के खिलाफ पुष्पेन्द्र से मारपीट करने का मुकदमा चल रहा है, उस

घटना में पुष्पेन्द्र को चोट कितनी लगी या नही लगी मुझे नही पता। पी०डब्लू०-१ की गवाही से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य है कि उसके और अभियुक्तगण के मध्य पुश्तैनी जमीन को लेकर पूर्व से रंजिश है और स्वंय वादी पर अभियुक्तगण से मारपीट करने का मुकदमा दर्ज है। पी०डब्लू०-१ का कथन है कि वह अपने घर पर था और मुल्जिमान ने उसे बाहर बुलाया गाली दी और उसके मान करने पर उसके साथ मारपीट की। न्यायालय को यह वर्णन अस्वाभाविक प्रतीत होता है क्योंकि पूर्व रंजिश होने के बावजूद बिना किसी प्रतिरोध के प्रथम पक्ष महज अभियुक्त के बुलाने पर बाहर क्यों गया था और यदि कथित घटनाक्रम हुआ तो अभियुक्त द्वारा प्रथम पक्ष के घर के बाहर आकर बुलाने या गाली गलौच करने की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि क्या थी। इस बिन्दु पर अभियोजन कथानक मौन है। वादी ने कहीं भी ये स्पष्ट नही किया है कि उसके परिवार में कितने सदस्य हैं और घटना जब घटित हुई तो उसके परिवार के कौन से सदस्य घर में मौजूद थे। पी०डब्लू०-१ के बयान से परिलक्षित है कि उसके और अभियुक्त के घर के मध्य तकरीबन ५० गज की दूरी है ऐसे में अभियुक्तगण का घटना कारित कर और फावड़ा, तबल लाठी डण्डे आदि लेकर भाग जाना और मौके से ऐसे कोई हथियार बरामद न होना तथा गांव के लोगो के इकट्ठा होने के बावजूद अभियुक्तगण का पकड़ा न जाना जबकि वे घटनास्थल से ज्यादा दूर नही रहते है, न्यायालय की दृष्टि में अभियोजन के कथानक को संदेहास्पद बना देता है। पी०डब्लू०-१ ने वर्णन किया है कि रिपोर्ट से पहले पुलिस आयी थी और तभी उसने दरोगा को घटनास्थल बताया था।

पी०डब्लू०-२ प्रमोद कुमार ने मुख्य परीक्षा में बताया कि उसके पिता जी के घर से निकलते ही मुल्जिमान ने गाली गलौच करते हुए मारपीट शुरु कर दी। उसके अनुसार राजकुमार ने उसके कंधे पर फावड़ा मारकर काट दिया, पुष्पेन्द्र ने उसके पिता को तबल से मारा और इन्द्रजीत डण्डे से मार रहा था। गांव के रमेश, ओमपाल और अन्य लोग इकट्ठा हो गये थे। पी०डब्लू०-२ के अनुसार वे भाग कर पपसरा पुलिस चौकी पर पहुँचे, मुल्जिमान घटनास्थल से भाग गये। पुलिस ने इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जहां वे और उसके पिता पांच छः दिन रहे उसके बाद प्राइवेट इलाज कराया था। जिरह के अन्तिम पृष्ठ में घटना के वक्त अपनी भूमिका के बावत पी०डब्लू०-२ ने बताया कि "मैं अपने घर से झगड़ा होने के बाद निकला था”,मेरे कपड़े खून में सन गये थे। पापा को होश आ गया था तो वे अगले दिन थाने गये थे, मैं साथ नही गया था। अशोक को कौन बुलाकर लाया था।" पी०डब्लू०-२ की जिरह का ये भाग पी०डब्लू०-१ के बयान और स्वंय पी०डब्लू०-२ की मुख्य परीक्षा के कथनो से काफी भिन्न है क्योंकि पूर्व कथन में उसने एवं पी०डब्लू०-१ ने कथन किया कि

शोर सुनकर पी०डब्लू०-२ बाहर निकल आया था ओर मुल्जिमान ने उससे और उसके पिता के साथ मारपीट की थी किन्तु जिरह में पी०डब्लू०-२ का कथन है कि वो घटना होने के बाद अपने घर से निकला था। पी०डब्लू०-२ ने अपनी जिरह में मुल्जिमान की कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित नही की है और न ही उसने यह ही बताया है कि मुल्जिमान ने उसके साथ क्या किया है। जिरह में उसके कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि वह घटनास्थल पर बाद में पहुंचा था। मुख्य परीक्षा में उसने कथन किया है कि वो थाने नही गया था और उसे यह भी नही पता कि मौके पर दरोगा को बुला कर कौन लाया था किन्तु मुख्य परीक्षा में उसका कथन था कि अभियुक्त ने उसके कंधे पर फावड़े से वार किया था, बहुत खून बह रहा था और वह दौड़ कर पपसरा चौकी पहुंच गया था।

अतः पी०डब्लू०-१ एवं पी०डब्लू०-२ द्वारा वर्णित घटनाक्रम में मुख्य परीक्षा एवं जिरह में किये गये कथनो में महत्वपूर्ण अन्तरविरोध है जो घटनाक्रम, घटना में दोनो पक्षों की भूमिका और घटना के वक्त साक्षियों की उपस्थिति और घटना में हर अभियुक्तगण की संलिप्तता और भूमिका को संदेहास्पद बना देते हैं।

अभियोजन द्वारा परिक्षित साक्षी पी०डब्लू०-3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसने देखा कि प्रमोद की पीठ पर फावड़ा लगा था। वार किया था प्रमोद के पापा के भी चोट थी। पी०डब्लू०–3 ने अपनी जिरह में कथन किया कि "मैंने मारपीट करते किसी को नही देखा था। मैंने दरोगा जी को मारपीट करने वालो के नाम नही बताये थे। मैंने कोई घटना नही देखी थी"। पी०डब्लू०–3 ने अपने बयान में स्पष्ट रुप से कथन किया कि उसने घटना नही देखी और न ही उसने किसी को मारपीट करते हुए देखा। दाण्डिक विधि का स्पष्ट नियम है कि अभियोजन को हर सम्भव युक्ति-युक्त संदेह से परे यह साबित करना होता है कि घटना हर हाल में अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गयी, की जा सकती थी। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन ने विवेचक अथवा चिकित्सक के बयान नही कराये और ना ही किसी स्वतंत्र साक्षी या उभयपक्ष के गांव के किसी चक्षुदर्शी साक्षी का बयान ही कराया है। पत्रावली पर सी०एच०सी० अमरोहा के मेडिकल प्रपत्र मौजूद है किन्तु इनमें वर्णित उपहति मौखिक गवाहान के वर्णन अथवा कथन से मेल नही खाती। इन मेडिकल प्रपत्रों को बल प्रदान करने हेतु कोई अन्य साक्ष्य पत्रावली पर नही है।

17– महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि घटना के किसी भी स्वतंत्र गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नही कराया गया है और अभियोजन ने जो साक्षी परिक्षित कराये है वे वादी मुकदमा व उसका पुत्र हैं। अभियोजन द्वारा पी० डब्लू०– 3 को परिक्षित कराया गया है जिसने

अपने साक्ष्य में कथन किया कि "मैंने मारपीट करते किसी को नही देखा था। मैंने दरोगा जी को मारपीट करने वालो के नाम नही बताये थे। मैंने कोई घटना नही देखी थी।"

अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को साक्ष्य के अभाव में युक्तियुक्त संदेहे से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। घटना संदिग्ध प्रतीत होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा ***Zahira Habibullah Sheikh Vs. State of Gujarat AIR 2006 SC 1367***– में अभिनिर्धारित किया गया है कि :

> *" It has been held that trial court has to look that every criminal case is to be judged on cardinal principle of proving guilt beyond reasonable doubt. If there are possibilities of witness becoming hostile, then it will amount to acquittal only."*

18– इस प्रकार सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस मत पर पंहुचती है कि अभियोजन द्वारा परिक्षित कराये गये मौखिक साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर वह अभियुक्तगण **पुष्पेन्द्र, राजकुमार एवं इन्द्रजीत** के विरुद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–324, 325, 504 भारतीय दण्ड संहिता को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

अतः संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा। अभियुक्तगण द्वारा धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन किया जा चुका है।

आदेश

अभियुक्तगण **पुष्पेन्द्र, राजकुमार एवं इन्द्रजीत** को धारा 324, 325, 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त मामले में जमानत पर हैं। अभियुक्तगण की ओर से उक्त वाद में धारा 437A दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में जमानतनामे दाखिल किये गये जिन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया, जो अपील होने तक की अवधि अथवा 6 माह तक, जो पहले हो, प्रभावी होंगे।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : **30.07.2025** (**<u>ऐश्वर्या चन्द्रा</u>**)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद अमरोहा
J.O. CODE-UP3234

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक : **30.07.2025** (**<u>ऐश्वर्या चन्द्रा</u>**)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद अमरोहा
J.O. CODE-UP3234